राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 471/2018
कैलाश चन्द्र स्वर्णकार

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मंडल, अजमेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरण, भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर जनवरी, 1989 में हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 13.01.1989 को कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 04.12.2016 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, हिन्दी के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हुई थी। उक्त पदोन्नति पर अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगरोप, भीलवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरण, बनेड़ा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 09.12.2016 को उक्त पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के लिये योग्य माना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 15.09.2017 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद पर की, जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गयी। अपीलार्थी पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक, हिन्दी के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत हो चुका था। उसके उपरान्त भी अपीलार्थी को पुनः वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सामाजिक विज्ञान के विषय में पदोन्नति वर्ष 2012–13 अंकित करते हुए पदोन्नति आदेश पारित किये गये, जो गलत है। अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 में वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान में पदोन्नति का आदेश दिनांक 15.09.2017 में अपीलार्थी को जो राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय, मंगरोप, भीलवाड़ा में पदस्थापित होना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी पूर्व में ही हिन्दी विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत होने के उपरान्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरण, बनेडा पदस्थापित हो चुका था और उसने कार्य ग्रहण भी कर लिया था। आदेश दिनांक 28.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन सामाजिक विज्ञान विषय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगरोप से राजकीय उच्च प्राथमि विद्यालय, करेडा, मांडल, भीलवाड़ा किया गया था, जो उचित नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी मंगरोप में कार्यरत नहीं था और पूर्व में ही पदोन्नति प्राप्त कर स्थानान्तरित हो चुका था। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की हैः–

> ''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित विवादित आदेश दिनाँक 17.04.2018, 15.09.2017, 28.10.2017 निरस्त किये जाकर अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरण, बनेडा, जिला भीलवाडा में वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के पद पर पदस्थापित रखने के आदेश फरमाने की कृपा करे।
>
> (ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।
>
> (ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2008–09 से 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 में की गई सामाजिक विज्ञान की रिव्यू डीपीसी में पदौन्नति प्रदान करते हुये आदेश दिनांक 28.10.2017 के द्वारा राउप्रावि करेड़ा, भीलवाड़ा में पदस्थापित किया गया था। किन्तु उक्त पद स्थापन पर कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण नही किये जाने से अपीलार्थी नियमानुसार पदौन्नति परित्याग की श्रेणी में रखा गया।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.12.2016 के द्वारा हिन्दी विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर उसका पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगरोप, भीलवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरण, बनेड़ा किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.12.2016 को कार्य ग्रहण कर लिया था। कार्य ग्रहण किये जाने की सूचना प्रत्यर्थी विभाग को थी। इसके बावजूद भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः अन्य विषय के लिये डीपीसी किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के हिन्दी विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण करने की जानकारी पूर्व में ही थी, क्योंकि कार्य ग्रहण करने के आदेश की प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित की जा चुकी थी। ऐसे में अपीलार्थी को अन्य विषय में पदोन्नति देने के

लिये विचार में नहीं रखा जा सकता था। अपीलार्थी को बाद में जो पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद पर प्रदान की गयी है, उसमें अपीलार्थी को पूर्व के विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगरोप, भीलवाड़ा में पदस्थापित होना माना है, जो गलत है। ऐसे में अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति की सूचना प्राप्त नहीं होने का तर्क जो अपीलार्थी ने दिया है, वह उचित प्रकट होता है। क्योंकि उस समय अपीलार्थी अन्य विद्यालय में कार्यरत था। आदेश दिनांक 17.04.2018 में प्रत्यर्थी विभाग ने यह माना है कि अपीलार्थी का पूर्व में चयनित डीपीसी वर्ष में चयन निरस्त किया गया है और नवीन डीपीसी में कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण अपीलार्थी को पदावनत कर नवीन पदस्थापन से पदावनत किया गया है। जो उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी पूर्व की डीपीसी के आधार पर पदस्थापित हो चुका था और कार्य ग्रहण कर लिया था।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 अपीलार्थी की हद तक निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक, सामाजिक विज्ञान के पद पर जो पदोन्नति दी गयी है, उसे निरस्त किया जाता है। आदेश दिनांक 28.10.2017, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सामाजिक विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया है, उसे निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिनांक 17.04.2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदावनत किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, उसे भी निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक, हिन्दी के पद पर कार्यरत रखा जावें एवं अपीलार्थी को समस्त लाभ भी प्रदान किये जाए। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)